[2019] 4 एस. सी. आर 383

महेन्द्रन

वी.

तमिल नाडु का राज्य

(2010 की आपराधिक अपील संख्या 1266)

फरवरी 21,2019

[संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-एस. एस. 141 , 149 , 302 और एक 'एम' का पीडब्लू1-दामाद का 326-कथन, कि 12.03.94 पर जाते समय नंगरारी अपने पिता के साथ, अंधेरे के कारण उन्होंने अपने ससुर के घर रहने का फैसला किया-उन्होंने कहा कि उनके ससुर ने उनके और जाति हिंदुओं के बीच विवाद साझा किया-13.03.1994 पर

लगभग 7:30 बजे, उसने शोर सुना जब वह और उसके ससुर यह देखने के लिए बाहर आए कि क्या हुआ-ए-1 से ए-9 पत्थरों और अरवल (दरांती) के साथ खड़े थे-ए-1 ने टिन के पात्र से मिट्टी का तेल डाला और ए-2 ने पीडब्ल्यूआई के ससुर की झोपड़ी में आग लगा दी-पीडब्ल्यूआई के ससुर घर के पीछे की ओर भागे-आरोपी ने दरांती से उसके सिर पर वार किया-पीडब्ल्यूआई के ससुर की मौत हो गई-24 लोगों पर मुकदमा चलाया गया

निचली अदालत ने पाया कि आरोप केवल अभियुक्तों के खिलाफ साबित हुए हैं। 1 10 और 12-15, अभियुक्तों को बरी करना। 11 और 16-24-उच्च न्यायालय ने आरोपी संख्या को बरी कर दिया। 10 और 12-15 अभियुक्तों द्वारा अपील पर उन्हें संदेह का लाभ प्रदान करके। 1-9 (8 & 9 अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई), अभिनिर्धारित किया गयाः घटना के तुरंत बाद दर्ज की गई एफ. आई. आर. में अपीलार्थियों की उपस्थिति का खुलासा किया गया-यह मानने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त-अपीलार्थियों को झूठा फंसाया गया है अभियोजन गवाह पी. डब्ल्यू. 1, पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 3 ने उस घटना में प्रत्येक अपीलार्थी की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है जिसने पी. डब्ल्यू. 1 के ससुर की जान ले ली-इस तरह के बयान की पुष्टि पी. डब्ल्यू. 5 (पी. डब्ल्यू. 1 की सास) द्वारा की गई है-सभी अपीलार्थियों की सक्रिय भागीदारी रिकॉर्ड पर साबित होती है-नीचे दी गई दोनों अदालतों ने पाया कि अपीलार्थियों का मृतक की झोपड़ी को जलाने में समान उद्देश्य था और

जाति हिंदुओं के खिलाफ पंचायत के मामलों में मृतक की भूमिका को देखते हुए मृतक पर अरवल (दरांती) से हमला करना।

ए-1 और ए-2 के अलावा अन्य अपीलार्थियों को अपराधों के लिए दोषी ठहराने के लिए अलग तरीके से व्यवहार नहीं किया जा सकता है। s.326 r/w। s.149 आई. पी. सी. क्योंकि सभी आरोपी उस गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे जिसने एक जानलेवा हमले में पी. डब्ल्यू. 1 के ससुर की जान ले ली थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दंड संहिता, 1860 - s.141-गैरकानूनी सभा-सामान्य उद्देश्य-चर्चा की गई।

मैक्सिम्स-"यूनो में फाल्सस, ऑम्निबस में फाल्सस"-भारत में इसका अनुप्रयोग-आयोजितः भारत में इस उक्ति का कोई उपयोग नहीं है-संपूर्ण

गवाहों की गवाही को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि, कुछ पहलुओं में, बयान के हिस्से पर विश्वास नहीं किया गया है, सबूत की सराहना का सामान्य सिद्धांत यह है कि भले ही गवाह के सबूत का कुछ हिस्सा गलत पाया जाए, लेकिन गवाह की पूरी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है-गवाह-प्रशंसा के सामान्य सिद्धांत का सबूत।

निर्णय/आदेश-चर्चा की गई व्याख्या।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 घटना के तुरंत बाद पीडब्लू19-पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा सुबह 8.45 बजे पीडब्लू1 का बयान दर्ज किया गया।

उसने अपने ससुर के शरीर पर चोटों की रसीद का खुलासा किया और इस बात से इनकार किया कि वह नहीं जानता कि उसके ससुर की हत्या कैसे की गई, उसके ससुर की झोपड़ी में कैसे आग लगा दी गई और वह नीकुप्पई गांव नहीं गया। पुनःपरीक्षा में, वह पदच्युत किया गया कि बरामद किए गए पाँच दरांती लगभग 1 फीट लंबे थे; कुछ लंबे या छोटे हो सकते हैं। पीडब्लू1 का ऐसा कथन

पी. डब्ल्यू. 2 द्वारा पुष्टि की जाती है जो उसी गाँव का निवासी है जो मृतक का है। उन्होंने यह भी कहा कि पीडब्लू 13 और एक माणिकम के घर स्कूल की सड़क पर स्थित हैं, जिनमें से एक उत्तर की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर और आधा फरलोंग की दूरी पर है। घटना के समय माणिकम के घर में ताला लगा हुआ था और लोग पी. डब्ल्यू. 13 के घर से माणिकम के घर की ओर भागे। इसी तरह

पीडब्लू3 का कथन है कि ए-1 ने मृतक की झोपड़ी की छत पर टिन के पात्र से मिट्टी का तेल डाला और ए-2 ने झोपड़ी में आग लगा दी। यहां तक कि मृतक की पत्नी पी. डब्ल्यू. 5 ने भी अपदस्थ किया कि ए-1 ने मिट्टी का तेल डाला और ए-2 ने माचिस जलाया। उन्होंने कहा कि वहां महेंद्रन बनाम।

अन्य बीस या तीस लोग एक समूह के रूप में खड़े थे। यह तथ्य कि उसने अन्य अभियुक्तों का नाम नहीं लिया है, अपीलार्थियों की भूमिका को दोषमुक्त नहीं करेगा, क्योंकि उनकी उपस्थिति का खुलासा अभियोजन पक्ष के तीन अन्य गवाहों यानी पीडब्लू1, पीडब्लू2 और पीडब्लू3 द्वारा किया जाता है। द.

घटना स्थल पर अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए गवाहों की उपस्थिति दोनों न्यायालयों द्वारा साक्ष्य की सराहना पर आधारित है। यह नहीं पाया गया है कि इस तरह की प्रशंसा विकृत है

या पूरी तरह से असमर्थनीय जो वर्तमान अपीलों में हस्तक्षेप का कारण बन सकता है। यह मानने का कोई उचित आधार नहीं है कि पीडब्लू1 अपने ससुर द्वारा समझाई गई परिस्थितियों में उनके साथ न रहें। [पारस 26-30] [397-A-H; 398-A-B]

1.2 घटना के तुरंत बाद प्राथमिकी दर्ज की गई जब उसी गांव के निवासी पीडब्लू2 और पीडब्लू3 पुलिस के पास पहुंचे स्टेशन। इसलिए, यह तथ्य कि पीडब्लू1 पिता के तीन अभियुक्तों का नाम याद नहीं रख सका, अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित मामले पर संदेह पैदा नहीं करेगा। [पैरा 34] [399-डी]

1.3 निचली अदालत ने पाया कि कुछ विसंगतियां हो सकती हैं

धारणा या अवलोकन की छोटी त्रुटियों या स्मृति की कमी के कारण। घटना के छह साल से अधिक समय के बाद गवाहों से पूछताछ की जा रही थी। यह तर्क कि पूरा मामला झूठ पर आधारित है और इस प्रकार अपीलार्थियों को दोषी ठहराने के लिए विश्वसनीय नहीं है, मान्य नहीं है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कहावत "एक में गलत, सर्वव्यापी में गलत" का भारत में कोई उपयोग केवल इस कारण से नहीं है कि गवाह के बयान के कुछ हिस्से को निचली अदालत या उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

1.4 यदि गवाह विश्वसनीय और भरोसेमंद है तो पूरे बयान को खारिज नहीं किया जा सकता है। का सामान्य सिद्धांत साक्ष्य का मूल्यांकन यह है कि भले ही गवाह के साक्ष्य का कुछ हिस्सा गलत पाया जाए, लेकिन गवाह की पूरी गवाही

एनो को त्याग दिया जाए। Ex.P.6-1 का एक प्रकटीकरण कथन है,

जबकि, Ex.P.8 ए-10, ए-21, एक 'एन. आर.' (मृत), ए-22 और ए-24 का प्रकटीकरण विवरण है। यह एक आरोपी का इकबालिया बयान नहीं है जिसके कारण घटना में इस्तेमाल किए गए हथियारों की बरामदगी हुई

लेकिन अभियुक्त के इकबालिया बयानों के आधार पर, एक [2019] 4 एस. सी. आर.

सामान्य वसूली ज्ञापन तैयार किया गया था। घटना में उपयोग किए गए हथियारों की बरामदगी का ऐसा सामान्य ज्ञापन अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा नहीं कर सकता है। डी. डब्ल्यू. 4 कुदवासल सरकारी अस्पताल में सहायक डॉक्टर है जिसने बयान दिया है कि डॉक्टर घटना की तारीख को ड्यूटी पर थे। उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि डॉक्टर 'जी' सुबह 7:30 बजे से बाह्य रोगी वार्ड में ड्यूटी पर थे। आउट पेशेंट वार्ड में दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक कोई ड्यूटी नहीं थी।

एक दिन। जैसा कि रिकॉर्ड में दिया गया है कि कुदवासल गाँव तिरुवरूर के रास्ते में पड़ता है और चूंकि डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, इसलिए घायलों की सरकारी अस्पताल तिरुवरूर में जांच की गई। पीडब्लू17- डॉक्टर 'आर' की गवाही पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया गया है कि डॉक्टर कुडवासल अस्पताल में उपलब्ध थे और चोटों की जांच उस स्थान पर भी की जानी चाहिए थी। गवाह के सामने रखा गया एकमात्र सुझाव यह है कि चोटें उनकी जाँच करने से पहले एक घंटे के भीतर हो सकती थीं। चोटों की संभावना एक राय है जो इसका विरोध नहीं कर सकती है

13.3.1994 की दुर्भाग्यपूर्ण सुबह चोटों की प्राप्ति के बारे में गवाह का प्राथमिक बयान। अभियोजन पक्ष ने ए-1 और ए-2 द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को साबित किया है। अन्य की उपस्थिति

घटना के समय आरोपी भीड़ के हिस्से के रूप में जिसने मुरुगैयान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी, वह भी साबित हो गया है। मृतक के शरीर के अंगों पर शारीरिक विच्छेद होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थियों की उपस्थिति का खुलासा किया गया था

घटना के तुरंत बाद दर्ज किया गया। इसलिए, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त-अपीलार्थियों को गलत तरीके से फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष के गवाह पीडब्लू1, पीडब्लू2 और पीडब्लू3 ने उस घटना में प्रत्येक अपीलार्थी की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है जिसने मृतक की जान ले ली है। ऐसा कथन है - मृतक की पत्नी पी. डब्ल्यू. 5 द्वारा पुष्टि की गई जिसने अपदस्थ किया कि यह ए-1 और ए-2 है जिसने बीस-तीस अन्य व्यक्तियों के साथ क्रमशः मिट्टी का तेल डाला और माचिस जलाया। इसलिए, सभी अपीलार्थियों की सक्रिय भागीदारी रिकॉर्ड पर साबित होती है। [पैरा 40,42-46] [403-B-H; 404-A-D]

1.5 इस तर्क में कोई योग्यता नहीं है कि सभी अपीलार्थियों के विचार में सामान्य उद्देश्य नहीं कहा जा सकता है, इसके अभाव में

पीडब्लू5 द्वारा ए-1 और ए-2 के अलावा अन्य अपीलार्थियों को जिम्मेदार ठहराया गया एक स्पष्ट कार्य। यहां तक कि पीडब्लू5 भी स्पष्ट है कि ए-1 और ए-2 थे उनके साथ बीस-तीस अन्य लोग भी थे। हालाँकि उसने अन्य अभियुक्तों का नाम नहीं लिया है, लेकिन तथ्य यह है कि अन्य अभियुक्तों के पास महेंद्रन बनाम है।

तमिल नाडु का राज्य

1.6 न्यायिक आदेश किसी विशेष मामले के तथ्यों की स्थापना में दिए जाते हैं। परिवेशीय लचीलापन, एक अतिरिक्त या अलग-अलग तथ्य दो मामलों में निष्कर्षों के बीच अंतर पैदा कर सकते हैं, इसलिए, क्या प्रत्येक मामले में अभियुक्त का कोई सामान्य उद्देश्य था, यह उस विशेष मामले के तथ्यों के संचयी प्रभावों पर निर्भर करेगा। वर्तमान मामले में, नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने पाया है कि अपीलार्थियों का उद्देश्य समान है

जाति हिंदुओं के खिलाफ पंचायत के मामलों में मृतक की भूमिका को देखते हुए मृतक की झोपड़ी को जलाना और मृतक पर अरवल (दरांती) से हमला करना। इसलिए, ए-1 और ए-2 के अलावा अन्य अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पठित धारा 326 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराने के लिए अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है क्योंकि सभी आरोपी गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे जिसने आई. डी. 1 की दुर्भाग्यपूर्ण सुबह एक जानलेवा हमले में मृतक की जान ले ली थी। [पारस 53,54] [407-एफ-एच; 408-ए, बी]

राम लक्ष्मण बनाम। राजस्थान राज्य (2016) 12 एससीसी 389

अप्रयोज्य रखा गया।

नौशाद उर्फ नौशाद पाशा और अन्य बनाम। कर्नाटक राज्य (2015) 2 एस. सी. सी. 513; सूरज मल बनाम। राज्य (दिल्ली)

प्रशासन) (1979) 4 एससीसी 725; जोसेफ बनाम। राज्य का प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक (2018) 12 एस. सी. सी. 283:

[2017] 2 एस. सी. आर. 452; नजाभाई देसुरभाई वाघ बनाम। वलेराभाई डेगनभाई वाघ और अन्य (2017) 3 एस. सी. सी. 261; गंगाधर बेहरा और अन्य बनाम। उड़ीसा राज्य (2002) 8 एससीसी 381: [2002] 3 पूरक। एससीआर 183; संजीव कुमार गुप्ता बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2015) 11 एससीसी

69 [2015] 5 एस. सी. आर. 122-संदर्भित।

[2019] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

(2016) 12 एस. सी. सी. 389

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 15

(2015) 2 एस. सी. सी. 513

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

(1979) 4 एस. सी. सी. 725

पैरा 15

संदर्भित किया गया है

[2017] 12 एससीआर 452

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

(2017) 3 एस. सी. सी. 261

पैरा 19

संदर्भित किया गया है

[2002] 3 पूरक। एससीआर 183

पैरा 23

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पै

रा 24

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

1266 2010 का

उच्च न्यायालय के 26.09.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2001 की आपराधिक अपील संख्या 586 में मद्रास (मदुरै पीठ)

के साथ

2010 की आपराधिक अपील सं. 1260।

वी. के. शुक्ला, सुश्री वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता। , पी. बी. सुरेश, विपिन नायर

कार्तिक जयशंकर, उदयादित्य बनर्जी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

एम. योगेश कन्ना, एस. पार्थ सारथी, एस. राजा राजेश्वरन, अधिवक्ता।

उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे. 1. आपराधिक अपील सं. 1266

(अभियुक्त सं. 2), अयप्पन (अभियुक्त सं. 4), राजेंद्रन (अभियुक्त सं. 5), सेल्वराज (अभियुक्त सं. 6), करुणाकरन (अभियुक्त सं. 7), अरुणाचलम (अभियुक्त सं. 8) और सुंदरमूर्ति (अभियुक्त सं. 9) मद्रास की मदुरै पीठ के एक सामान्य निर्णय से उत्पन्न होते हैं। 26.09.2008 पर उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय ने मोहन को बरी कर दिया है।

(अभियुक्त सं. 10), रवि (अभियुक्त सं. 12), पी. मोहन (अभियुक्त सं. 13), पलानीवेल थेवर (अभियुक्त सं. 14) और कन्नन (अभियुक्त सं. 15) को संदेह का लाभ देकर सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। अभियुक्तों को निचली अदालत के समक्ष उनकी स्थिति के संदर्भ में भेजा जाता है।

3. अपीलार्थियों के विद्वान वकील का कहना है कि अभियुक्त संख्या। 8 और अपीलों के लंबित रहने के दौरान 9 की मृत्यु हो गई है। नतीजतन, अभियुक्त संख्या के संबंध में अपीलें बनी रहती हैं। 1 केवल 7 तक। अभियुक्त बालकृष्णन में से एक की मृत्यु आरोप पत्र दायर होने से पहले ही हो गई थी, इसलिए दाखिल की गई रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था।

5. उन्होंने कहा कि उनके ससुर ने उस शाम उनके और जाति हिंदुओं के बीच विवाद साझा किया और यह विवाद बढ़ता जा रहा था। और यह कि किसी ने पिलैयार गली में छप्पर वाली झोपड़ी में आग लगा दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में एक पंचायत आयोजित की जा रही थी, लेकिन उन्होंने पुलिस को सूचित नहीं किया था। उन्होंने कहा कि लगभग 7:30 बजे, जब उनके पिता चाय पीने गए थे, तो उन्होंने निवास स्थान पर शोर सुना। वह और उसके ससुर यह देखने के लिए बाहर आए कि क्या हुआ। उस समय ए-1 से ए-9 और रामैया कोनूर का बेटा बालकृष्णन (मृत होने के बाद) पत्थरों और अरुवल के साथ खड़े थे।

(सिकल)। उन्होंने प्रोत्साहित किया कि जब तक आप जीवित हैं, तब तक आप जाति के हिंदुओं को जीवित नहीं रहने देंगे और हम आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। उस समय, रवि (ए-1) ने टिन के पात्र से मिट्टी का तेल डाला और सिंगरावेलु (ए 2) ने छत में आग लगा दी। झोपड़ी में आग लगा दी गई। उसके ससुर अपनी जान के डर से घर के पीछे की ओर भागे। वह भी उसके पीछे भागा। उनसे पूछा गया कि वह क्यों भाग रहे थे? मुरुगैयन स्कूल स्ट्रीट पर नाई महालिंगम के घर की ओर भागा। लेकिन आरोपी ने मुरुगैयन के सिर पर दरांती से वार किया, जिससे सिर, हाथ, पैर और पीठ पर चोटें आईं। उनके ससुर, मुरुगैयन पी. डब्ल्यू. 13-महालिंगम के घर के सामने खून से लथपथ लेटे हुए थे, जिनके पास [2019] 4 एस. सी. आर. थे।

पोस्टमॉर्टम के लिए शव। उन्होंने सूचना देने वाले पीडब्लू1-गणेशमूर्ति, पीडब्लू2-राजा, पीडब्लू3-रमेश, पीडब्लू4-रावणन और पीडब्लू5-मृतक की पत्नी लक्ष्मी को जांच के लिए जोड़ा और उनके बयान दर्ज किए। उन्होंने पीडब्लू 6-शंकरन और मरियप्पन (ए-23) को भी जोड़ा और उनके बयान दर्ज किए। उन्होंने जले हुए बांस का टुकड़ा, एक जले हुए नारियल का पत्ता बरामद किया। जाली, लाल, नीले, सफेद और हरे रंग की एक जली हुई पॉलिएस्टर साड़ी, एक जली हुई स्प्रेयर नोजल, और कुछ जले हुए धान के साथ-साथ लगभग 1615 घंटे में जली हुई गाड़ी से लिया गया एक तख्ता, जो Ex.P.4 में दर्ज है। इसमें उल्लिखित सामग्री Ex.P.4 एम. ओ. हैं। 10 से 15 तक। उन्होंने महालिंगम के घर के पश्चिम में बैठने वाले क्षेत्र से खून के धब्बे भी अपने कब्जे में ले लिए; उपरोक्त क्षेत्र से बिना खून के धब्बे के मिट्टी का एक नमूना खींचा गया; खून से सना हुआ मिट्टी उस स्थान से लिया गया था जहां महालिंगम का शव पड़ा था।

मुरुगैयन लेटा हुआ था और खून के दाग के बिना मिट्टी ले ली गई थी उसी जगह से। उन्होंने जांच पूरी करने के लिए कुछ अन्य गवाहों को भी जोड़ा।

7. आई. डी. 1 पर सूचना देने वाले गणेशमूर्ति द्वारा शुरू में उल्लिखित दस अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। प्रकटीकरण बयान Ex.P.6 अभियुक्त रवि (A-1) का दर्ज किया गया था, और प्रकटीकरण बयान के आधार पर A-1 से A-5 और बालकृष्णन से पाँच दरांती बरामद की गईं, जबकि A-6 से A-9 तक अलग-अलग लंबाई की बांस की छड़ें बरामद की गईं। 15.03.1994 पर, उन्होंने अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जो बरी हो गए, इसलिए, वर्तमान अपीलों के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। जिरह में, उन्होंने पूर्व की शिकायत से इनकार किया। पी. 1 को बताए गए समय पर पंजीकृत नहीं किया गया था और इसे चर्चा के बाद तैयार किया गया था और यह कि महेंद्रन बनाम.

एफ. आई. आर. Ex.P.13 को उस दिन शाम लगभग 4 बजे अदालत में भेजा गया था। उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि मृतक मुरुगैयन अनुसूचित जाति से हैं और इस बात से इनकार किया कि शव माणिकम के घर के पास बैठने की जगह पर पड़ा था। उन्होंने पी. डब्ल्यू. 13-महालिंगम, उनकी पत्नी थीवाकानी, बेटी राजी, बेटे सेल्वम को भी जांच के दौरान जोड़ा और उनके बयान दर्ज किए। लेकिन उसने कहा कि वह माणिकम के घर नहीं गया था जैसा कि इन व्यक्तियों ने उल्लेख किया है। पूरा होने पर

जाँच, आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और मुकदमे का दावा किया।

8. मुरुगैयान के शव का पोस्टमार्टम किया गया था

पी. डब्ल्यू. 17 द्वारा संचालित-डॉ. रज़ूल। उन्होंने मृतक के व्यक्ति पर निम्नलिखित बाहरी चोटें पायाः -

" 1. 6 " त्वचा के स्पष्ट कट किनारों के साथ लंबी अण्डाकार, क्षैतिज कट चोट, बाएं अनिवार्य के कोण से, बाईं गर्दन को पार करते हुए, रीढ़ की हड्डी की पार्श्व प्रक्रिया तक फैली हुई है। सी2 ", काले रक्त के थक्कों को साफ करने पर मास्टॉइड हड्डी को शामिल किए बिना। स्टर्नो क्लीडो मास्टॉइड मांसपेशियाँ और

गले की नसें और कैरोटिड धमनियां कटी हुई पाई जाती हैं।

2. 1 " चोट संख्या के नीचे (1) एक समान कट चोट क्षैतिज, एडम के सेब से गर्दन के बाईं ओर सी 5 रीढ़ तक फैली हुई है, पीठ में पार्श्व प्रक्रिया "6" लंबी इसकी गहराई तक फैली हुई है, स्टर्नो मास्टॉइड मांसपेशियों और जुगुलर नसों और सामान्य कैरोटिड धमनी को काटती है। खूब काला खून बहने के साथ।

3. इसी तरह की कट चोट 3 "लंबी क्षैतिज और 1" गर्दन की जड़ पर चोट संख्या 2 के नीचे जिसमें क्लीविकल हड्डी शामिल है।

4. बाईं ओर अनियमित किनारे वाले 2 "x 1" x 2 "दांतेदार किनारे वाले घर्षण

स्कपुला।

5. 10 " साफ किनारों के साथ लंबी घाव वाली चोट बहुत सतही है जो बाएं स्तन से दाएं पसलियों में तिरछे रूप से चल रही है और चोट पर दो पैकेट हैं 1 "बीच में 3" अंतराल के साथ एक ही रेखा पर गहरा पड़ा हुआ है। यह चोट

इसमें हृदय, फेफड़े और पेट का विसरा शामिल नहीं होता है।

6. कट चोट, 4 "बाईं जांघ का लंबा क्षैतिज और पार्श्व पक्ष, 4"

घुटने के जोड़ के ऊपर सिर्फ फीमर की हड्डी को गले लगाते हुए।

7. बाएं घुटने के जोड़ के नीचे इसी तरह की चोट 4 इंच लंबी है

पैर, टिबिया और फाइबुला की हड्डियों को पूरी तरह से काट देते हैं।

8. 2 " चोट के नीचे संख्या (7), पार्श्व पक्ष पर 3 "लंबी कट चोट, 2" गहरा।

9] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. हाथ को जोड़ों से अलग करने वाली बाईं कलाई को पूरी तरह से काटना, रेडियल और अल्नर धमनियों को केवल 1/2 "चौड़े के साथ काटना।

10. उनके शरीर के दाहिने हिस्से में केवल 6 "लंबी कट की चोट पाई जाती है, जो स्कैपुला से कंधे के पूर्वकाल तक कंधे के ऊपर से चलती है। बाइसेप्स की मांसपेशियों के कोमल सम्मिलन को काटना, ह्यूमरस हड्डी के सिर को काटना।

अन्यः

मस्तिष्क पीला नहीं होता है। खोपड़ी की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी नहीं टूटा हुआ। पेट, प्लीहा, यकृत, गुर्दे और फेफड़े पीले होते हैं, लेकिन घायल नहीं होते हैं। दिल में कोई चोट नहीं है। सभी बाएं कक्ष छोटे थक्कों के साथ खाली हैं।

मृत्यु का कारण चोट संख्या थी। 1 और 2 बाईं कैरोटिड धमनी और गले की नसों के टूटने के कारण, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव, हाइपो हो जाता है।

वॉल्यूम सदमा और मृत्यु अनुक्रम में। उन्होंने अपना पोस्टमार्टम कराया।

Ex.P.14 के रूप में रिपोर्ट करें।

9. पीडब्लू17-डॉ. रज़ूल ने मुखबिर पीडब्लू1 की भी जाँच की।

गणेशमूर्ति पर शाम 6 बजे 13.3.1994 पर कथित तौर पर हमला किया गया उसी दिन सुबह 7:30 बजे पत्थर। निम्नलिखित चोटों की सूचना दी गईः

" 1. कोमलता के साथ बाएं कान के लोब में संदूषण।

2. एडीमा के साथ घर्षण 1 "गर्दन के पिछले हिस्से का व्यास"।

10. पीडब्लू17 डॉ. रज़ूल ने उसी दिन पीडब्लू2-राजा और पीडब्लू3-रमेश की भी जांच की और उन्हें क्रमशः निम्नलिखित चोटें मिलीं:

" 1. दाहिनी आंख की भौंह पर घिरी हुई शोफ के साथ 1/2 "व्यास का हालिया घर्षण।

" 1. रक्त के थक्के 1/2 "व्यास घर्षण के साथ हाल ही में संदूषण

सिर के बाएँ मुकुट पर।

2.बाईं आधी मांसपेशियों पर कोमलता "।

11. अभियुक्त के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने पी. डब्ल्यू. 1-गणेशमूर्ति, मृतक के मुखबिर और दामाद, पी. डब्ल्यू. 2-राजा, पी. डब्ल्यू. 3-रमेश, पी. डब्ल्यू. 5-मृतक की पत्नी

लक्ष्मी और पी. डब्ल्यू. 13-महालिंगम, सभी ग्राम नीकुप्पई, पी. डब्ल्यू. 4-नरसिंगमपेट्टई निवासी रावणन के निवासियों से पूछताछ की। दोनों न्यायालयों ने महेंद्रन बनाम पर भरोसा किया है।

तमिल नाडु राज्य [हेमंत गुप्ता, जे.]

अपीलार्थियों को दोषी ठहराने के लिए पीडब्लू1-गणेशमूर्ति, पीडब्लू2-राजा और पीडब्लू3-रमेश के बयान।

12. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि पीडब्लू1

गणेशमूर्ति घटना के गवाह नहीं हैं, लेकिन उनका झूठा परिचय दिया गया है। इस तर्क के समर्थन में कि गवाह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, निम्नलिखित पहलुओं को इंगित किया गया थाः

बी)। अपने पहले बयान Ex.P.1 में उन्होंने यह नहीं कहा है कि उन्हें हमलावरों द्वारा फेंके गए पत्थरों से चोटें आई हैं, जबकि उन्होंने खुद को लगी चोटों के आधार पर अपनी उपस्थिति साबित करने की कोशिश की है जो डॉ. रज़ूल
द्वारा एक घंटे से अधिक पुराना नहीं पाया गया, जिन्होंने शाम लगभग 6.20 बजे उनकी जाँच की।

सी)। एफ़. आई. आर. समय से पहले दर्ज की गई है क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है कि एफ़. आई. आर. न्यायिक मजिस्ट्रेट को शाम 4 बजे क्यों दी गई, लेकिन सुबह 9:30 बजे के आसपास भेजे जाने के तुरंत बाद नहीं। यह अविश्वसनीय है कि सिपाही को पता नहीं होगा कि मजिस्ट्रेट नहीं आएगा।

अदालत में रविवार होने के कारण वह अधिकारी के आवास पर प्राथमिकी दर्ज करा सकता था। डी)। पीडब्लू1-गणेशमूर्ति ने बयान Ext.P.1 में सभी दस अभियुक्तों के माता-पिता का विवरण दिया है, लेकिन अदालत में वह ए 4, ए 6 और बालकृष्णन (मृत्यु के बाद से) के माता-पिता का खुलासा नहीं कर सके। इस प्रकार, परामर्श के बाद एफ़. आई. आर. दर्ज की गई, इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारा एफ़. आई. आर. की प्राप्ति में देरी हुई।

13. यह भी तर्क दिया जाता है कि घटना का स्थान माणिकम के घर के विपरीत है जैसा कि पीडब्लू 13-महालिंगम द्वारा अपदस्थ किया गया है, लेकिन अभियोजन पक्ष

महालिंगम के घर के पास घटना स्थल को स्थानांतरित कर दिया है। चूँकि घटना का स्थान पी. डब्ल्यू. 13 महालिंगम के बयान पर साबित नहीं हुआ है, इसलिए घटना के तरीके के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह कहा गया है कि पी. डब्ल्यू. 1-गणेशमूर्ति विश्वसनीय और सच्चा गवाह नहीं है, इसलिए, निर्भरता के योग्य नहीं है।

14. यह भी तर्क दिया जाता है कि पीडब्लू1-गणेशमूर्ति, पीडब्लू2-राजा और पीडब्लू3-रमेश ने इस दौरान कई अन्य अभियुक्तों को शामिल किया है।

जांच और यह कि बयान का ऐसा हिस्सा एक सच्चा संस्करण नहीं पाया गया है जिसके परिणामस्वरूप आरोपी नं। 10 , 12 , 13 , 14 और अपील में 15, जबकि, कुछ अन्य अभियुक्तों को [2019] 4 एस. सी. आर. द्वारा बरी कर दिया गया था।

विद्वत विचारण न्यायालय स्वयं। इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि गवाहों के बयान अविश्वसनीय हैं और उनमें विश्वसनीयता की कमी है, इसलिए अपीलार्थियों को दोषी ठहराने के लिए ऐसे बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

15. अपीलार्थियों के लिए सीखा हुआ वकील निर्णयों पर निर्भर करता है

राम लक्ष्मण बनाम राजस्थान राज्य 1, नौशाद उर्फ नौशाद पाशा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य 2 और सूरज मल बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) 3 में यह तर्क देने के लिए कि यदि बयान के हिस्से के संबंध में गवाह की गवाही अविश्वसनीय पाई जाती है, तो बयान के दूसरे हिस्से को आरोपी को दोषी ठहराने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है।

16. यह तर्क दिया जाता है कि रवि (ए-1) को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के तहत एक प्रकटीकरण बयान का सामना करना पड़ा है।

पीडब्लू8-वीरैयन का बयान और पांच दरांती बरामद की, लेकिन जांच अधिकारी ने पांच अलग-अलग अभियुक्तों को बरामदगी वितरित कर दी है।

17. अभियोजन पक्ष के गवाहों का यह स्पष्टीकरण कि कुडवासल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, बयान के आधार पर विरोधाभासी है

डी. डब्ल्यू. 4 के-कुडवासल सरकारी अस्पताल में सहायक डॉक्टर बालकुमारवेलु जिन्होंने बयान दिया है कि डॉक्टर उपलब्ध था। इसलिए, चोटों के संबंध में चिकित्सा जांच जो डॉक्टर की राय में एक घंटे से अधिक पहले नहीं है, अभियोजन पक्ष की कहानी को पूरी तरह से बदनाम करती है।

18. गवाहों द्वारा चोटों की प्राप्ति की कहानी पीडब्लू1

गणेशमूर्ति, पीडब्लू2-राजा और पीडब्लू3-रमेश को बहुत संदेह है क्योंकि उनके खून से सने कपड़े दो के बाद जांच अधिकारी को दे दिए गए थे जबकि, यदि उन्हें घटना की तारीख को चोटें लगी थीं, तो अभियोजन पक्ष के लिए घटना के दिन ही खून से सने कपड़ों को अपने कब्जे में लेना अनिवार्य था।

19. यह भी तर्क दिया जाता है कि मृतक की पत्नी पी. डब्ल्यू. 5-लक्ष्मी ने केवल रवि (ए-1) और सिंगरावेलु (ए-2) का नाम केवल उन व्यक्तियों के रूप में लिया है जिन्होंने मिट्टी का तेल डाला था और माचिस की छड़ी को जलाया था, लेकिन सम्मान में गवाही नहीं दी थी। अन्य अभियुक्त की भूमिका। इस प्रकार, ए-1 और ए-2 के अलावा अपीलार्थियों के लिए जिम्मेदार किसी भी स्पष्ट कार्य के अभाव को देखते हुए, आई. पी. सी. की धारा 302 और अन्य अपराधों के तहत अपराधों के लिए उनकी सजा नहीं दी जाती है।

1 (2016) 12 एससीसी 389

2 (2015) 2 एस. सी. सी. 513

3 3 (1979) 4 एस. सी. सी. 725 महेंद्रन बनाम।

और उन्हें आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पठित धारा 326 के तहत अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। सर्वोच्च पर निर्भरता रखी जाती है अदालत के फैसले को जोसेफ बनाम राज्य के रूप में रिपोर्ट किया गया, जिसका प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक और नजाभाई देसुरभाई वाघ बनाम वलेराभाई डेगनभाई वाघ और अन्य 5 ने किया। अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष सामान्य उद्देश्य को साबित करने में विफल रहा है ताकि आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत अपराध को आकर्षित किया जा सके।

20. दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने बताया कि स्थान बदलने पर बहुत जोर दिया गया है मणिकम के घर के पास से पी. डब्ल्यू. 13-महालिंगम के घर के पास तक घटना। यह तर्क दिया जाता है कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत है और यदि कोई विसंगति है तो वह मामूली है। यह निर्भरता पीडब्लू2-राजा के कथन पर रखी गई है, जिन्होंने पदच्युत किया कि महालिंगम और माणिकम के घर एक ही गली में हैं, एक उत्तर की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर, जिसका अर्थ है एक दूसरे की ओर और वे एक दूसरे से आधे फरलोंग की दूरी पर स्थित हैं। इसलिए, घटना का स्थान सड़क पर है, जिसमें पीडब्लू 13-महालिंगम और माणिकम के घर स्थित हैं। यह प्रमाण कि महालिंगम के घर के पास घटना के स्थान से रक्त-दाग वाली मिट्टी और नमूना मिट्टी को अपने कब्जे में ले लिया गया है, इसलिए घटना के स्थान के संबंध में मामूली विसंगति असंगत है क्योंकि घटना एक ही गली में है।

21. यह भी तर्क दिया जाता है कि पीडब्लू1-गणेशमूर्ति, पीडब्लू2-राजा और

पीडब्लू 3-रमेश ने उनकी चोटों को समझाया है कि उनके साक्ष्य के किस हिस्से को उनकी प्रतिपरीक्षा में चुनौती नहीं दी गई है। डी. डब्ल्यू. 4-बालकुमारवेलु का बयान उनके द्वारा उठाए गए तर्क का समर्थन नहीं करता है।

अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील जैसा कि गवाह द्वारा कहा गया है कि डॉक्टर सुबह 7:30 से 10.30 तक बाह्य रोगी वार्ड में रोगियों का इलाज करते हैं और 10.30 सुबह से 12.30 दोपहर तक रोगी वार्ड में रोगियों का इलाज करते हैं और फिर 12.30 दोपहर 2 बजे से दोपहर का भोजन विराम होता है। इसके बाद, प्रशासनिक कार्य दोपहर 2:30 बजे तक किया जाता है। इस प्रकार, गवाहों की जल्द से जल्द चिकित्सीय जांच की गई है।

22. पीडब्लू2-राजा के अनुसार, कुंभकोणम से सड़क कुडवासल, पुदुकुडी और तिरुवरूर तक जाती है। गवाह ने कहा है कि पुडुकुडी और तिरुवरूर के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है, जबकि बस

गैरकानूनी सभा। दूसरे शब्दों में, उद्देश्य उन व्यक्तियों के लिए सामान्य होना चाहिए, जो सभा की रचना करते हैं, अर्थात, उन सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए और इसमें सहमत होना चाहिए। आपसी परामर्श के बाद स्पष्ट समझौते से एक सामान्य उद्देश्य का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन यह किसी भी तरह से आवश्यक नहीं है। इसका गठन किसी भी स्तर पर विधानसभा के सभी या कुछ सदस्यों द्वारा किया जा सकता है और अन्य सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं और इसे अपना सकते हैं।

24. संजीव कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 'के निर्णय पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया गया था कि धारा 149 में दो हैं।

घटक (i) पाँच या अधिक सदस्यों वाली गैरकानूनी सभा के किसी भी सदस्य द्वारा किया गया अपराध, और (ii) ऐसा अपराध सभा की धारा 141 आई. पी. सी. के तहत सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किया जाना चाहिए या उस सभा के सदस्यों को सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना के बारे में पता होना चाहिए। 'सामान्य उद्देश्य' के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि गैरकानूनी सभा के सदस्यों की बैठक के अर्थ में एक पूर्व संगीत कार्यक्रम होना चाहिए।

25. रिपोर्ट किए गए निर्णय पर निर्भरता रखी गई है

गंगाधर बेहरा ने तर्क दिया कि उक्ति "एक में गलत, एक में गलत"

भारत में 'ऑम्निबस' का कोई आवेदन नहीं है और गवाहों को झूठा नहीं माना जा सकता है। उक्ति "यूनो में फाल्सस, ओम्निबस में फाल्सस" को सामान्य स्वीकृति नहीं मिली है और न ही यह उक्ति कानून के शासन का दर्जा प्राप्त करने के लिए आई है। यह केवल सावधानी का नियम है।

26. पहली और सबसे बड़ी चुनौती पी. डब्ल्यू. 1 गणेशमूर्ति की गवाही के लिए है क्योंकि अन्य बातों के साथ-साथ वह बैठक में उपस्थित नहीं थे।

6 (2002) 8 एस. सी. सी. 381 7 (2015) 11 एस. सी. सी. 69 महेंद्रन बनाम

तमिल नाडु राज्य [हेमंत गुप्ता, जे.]

घटना के स्थान और उस एफ़. आई. आर. को पूर्व-दिनांकित किया गया है। हम उक्त तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। पीडब्लू1-गणेशमूर्ति का बयान पीडब्लू19 द्वारा सुबह 8:45 बजे दर्ज किया गया-पुलिस निरीक्षक रामकृष्णन

घटना के तुरंत बाद। पीडब्लू1-गणेशमूर्ति द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का समर्थन पीडब्लू2-राजा और पीडब्लू3-रमेश द्वारा किया जाता है, जिन्होंने पाया है कि पीडब्लू1

गणेशमूर्ति पहले से ही शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन में थे। सुबह 8:45 बजे एफ. आई. आर. दर्ज करने के संबंध में पी. डब्ल्यू. 19-रामकृष्णन की गवाही प्रतिपरीक्षा में अस्वीकृत नहीं है। उन्होंने इस तरह के सुझाव और इस सुझाव से भी इनकार किया कि दस्तावेज़ शाम 4.15 बजे अदालत में भेजे गए थे। बयान पर विश्वास न करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है, इसलिए निचली अदालत और उच्च न्यायालय के उक्त गवाहों ने इस संबंध में अभियोजन पक्ष के बयान पर विश्वास किया है।

27. घटना के तरीके के संबंध में, पीडब्लू1-गणेशमूर्ति ने प्रतिपरीक्षा में कहा कि पंद्रह सौ लोग

पीडब्लू1-गणेशमूर्ति के बयान की पुष्टि पीडब्लू2-राजा द्वारा की गई है जो उसी गाँव के निवासी हैं जो मृतक मुरुगैयन का है। उन्होंने यह भी कहा कि पीडब्लू 13-महालिंगम और माणिकम के घर स्कूल स्ट्रीट पर स्थित हैं, एक उत्तर की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर और आधे फरलोंग की दूरी पर। घटना के समय माणिकम के घर में ताला लगा हुआ था और लोग पी. डब्ल्यू. 13 महालिंगम के घर से माणिकम के घर की ओर भागे। पीडब्लू 3-रमेश का भी यही कथन है कि रवि (ए-1) ने मुरुगैयान की झोपड़ी की छत पर एक टिन के पात्र से मिट्टी का तेल डाला और सिंगरावेलु (ए-2) ने झोपड़ी में आग लगा दी। यहाँ तक कि मृतक की पत्नी पी. डब्ल्यू. 5 लक्ष्मी ने भी अपदस्थ कर दिया कि वह रवि था (ए-1)। जिन्होंने मिट्टी का तेल डाला और सिंगरावेलु (ए-2) ने माचिस जलाया। उसने कहा है कि एक समूह के रूप में अन्य बीस या तीस लोग खड़े थे। यह तथ्य कि उसने अन्य अभियुक्तों का नाम नहीं लिया है, अपीलार्थियों की भूमिका को दोषमुक्त नहीं करेगा, क्योंकि उनकी उपस्थिति का खुलासा अभियोजन पक्ष के तीन अन्य गवाहों यानी पीडब्लू1-गणेशमूर्ति, पीडब्लू2-राजा और पीडब्लू3-रमेश द्वारा किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

29. घटना स्थल पर अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए गवाहों की उपस्थिति दोनों न्यायालयों द्वारा साक्ष्य की सराहना पर आधारित है। हम यह नहीं पाते हैं कि इस तरह की प्रशंसा विकृत या अनुचित है।

पूरी तरह से असमर्थनीय जो वर्तमान अपीलों में हस्तक्षेप का कारण बन सकता है।

30. यह तर्क कि यह अविश्वसनीय है कि दामाद अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहेगा, जब उसका अपना गाँव लगभग 15 किलोमीटर दूर है।

विशुद्ध रूप से अनुमानात्मक। यह मानने का कोई उचित आधार नहीं है कि पी. डब्ल्यू. 1 गणेशमूर्ति अपने द्वारा समझाई गई परिस्थितियों में अपने ससुर के साथ नहीं रहेंगे।

31. यह तर्क कि बयान Ex.P.1 में, पीडब्लू1-गणेशमूर्ति ने उन्हें लगी चोटों के बारे में नहीं बताया है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा

घटना का समय संदिग्ध है। उक्त तथ्य की जब एक पूर्ण कथन के संदर्भ में जांच की जाती है तो इसका महत्व कम हो जाता है। पीडब्लू1 के अनुसार गणेशमूर्ति घटना के तुरंत बाद, नीकुप्पई गाँव से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुदवासल गए जब उन्होंने बयान Ex.P.1 के रूप में रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद वे तिरुवरूर सरकारी अस्पताल गए। कुदवासल और तिरुवरूर उनके गाँव के दूसरी तरफ स्थित हैं।

32. पीडब्लू17-डॉ. रज़ूल, तिरुवरूर सरकारी अस्पताल में एक सहायक सर्जन ने शाम 4:30 बजे पोस्टमॉर्टम किया। इसके बाद, उन्होंने पीडब्लू1 की मेडिको-कानूनी परीक्षा आयोजित की।

गणेशमूर्ति, पीडब्लू2-राजा और पीडब्लू3-रमेश। उन्होंने चोट रिपोर्ट Ex.P.15-पीडब्लू1 की रिपोर्ट, Ex.P.16-पीडब्लू2 की रिपोर्ट-राजा और Ex.P.17 पीडब्लू3 की रिपोर्ट-रमेश को साबित किया। उन्होंने गवाही दी है कि गवाहों द्वारा बताए गए तरीके से चोटें संभव हैं। जिरह में, उन्होंने खुलासा किया कि वह तीन गवाहों के व्यक्तियों पर लगी चोटों के संभावित समय के बारे में नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने राय दी कि चोटें उनकी जांच करने से पहले एक घंटे के भीतर हो सकती थीं। चोटों के समय के संबंध में डॉक्टर की राय जाँच के एक घंटे के भीतर चोटों की संभावना के आधार पर निर्णायक नहीं है जब अभियोजन पक्ष के गवाहों की उपस्थिति और प्रत्येक के लिए जिम्मेदार भूमिका भी है। मौखिक गवाही से अपीलार्थी की उपस्थिति साबित हुई है। एक विशेषज्ञ गवाह की राय को गवाहों को लगी चोटों के तरीके के संबंध में उनके प्राथमिक बयान पर वरीयता नहीं दी जा सकती है।

33. इस तर्क के संबंध में कि एफ. आई. आर. शाम 4:45 बजे दी गई थी

नागपट्टिनम में न्यायिक मजिस्ट्रेट को 13.03.1994 पर, हालांकि महेंद्रन v.

रिपोर्ट सुबह 9:30 बजे भेजी गई थी, फिर से संदेह पैदा नहीं करता है अभियोजन संस्करण। यह तर्क कि सक्षम मजिस्ट्रेट तिरुवरूर में थे लेकिन प्राथमिकी न्यायिक विभाग को सौंप दी गई है

मजिस्ट्रेट, नागपट्टिनम, जो दर्शाता है कि एफ़. आई. आर. पूर्व-समय पर दर्ज की गई थी, फिर से स्वीकार्य नहीं है। पीडब्लू15-एच. सी. नारायणन ने अपदस्थ कर दिया कि वह तिरुवरूर गए और मजिस्ट्रेट के आने का इंतजार किया। चूंकि यह छुट्टी थी, इसलिए उन्होंने शाम 4:45 बजे पौथिरामनिकम में अपने आवास पर न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी सौंपी। इसलिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा एफ. आई. आर. की प्राप्ति में देरी को समझाया गया है और अभियोजन पक्ष के मामले को अस्वीकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि पी. डब्ल्यू. 19-पुलिस निरीक्षक रामकृष्णन की गवाही से घटना के तुरंत बाद एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी।

अदालत में तीन अभियुक्तों के माता-पिता का खुलासा करने से पता चलता है कि पहला संस्करण पूर्व परामर्श के बाद दर्ज किया गया था, फिर से मान्य नहीं है। घटना के तुरंत बाद प्राथमिकी दर्ज की गई जब उसी गांव के पीडब्लू 2-राजा और पीडब्लू 3 रमेश निवासी पुलिस स्टेशन पहुंचे। इसलिए, यह तथ्य कि वह तीन अभियुक्तों के पिता का नाम याद नहीं रख सका, उनके द्वारा स्थापित मामले पर संदेह पैदा नहीं करेगा। अभियोजन।

35. यह तर्क कि घटना का स्थान पीडब्लू 13-महालिंगम के बयान पर आधारित है, जिन्होंने अपदस्थ किया कि शव था

माणिकम के घर के सामने कटा हुआ पड़ा हुआ और द्रविड़ कड़घम के सदस्यों ने शव को उनके घर के बैठने वाले क्षेत्र में छोड़ दिया और मृतक का खून माणिकम के घर के बैठने वाले क्षेत्र में जमा किया गया था, हम पाते हैं कि इस तरह के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

36. पीडब्लू 6-घटना के बारे में सुनकर ग्राम प्रशासनिक अधिकारी शंकरन तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और

पी. डब्ल्यू. 13-महालिंगम के घर से उनकी उपस्थिति में और कुंजुपिल्लई की उपस्थिति में रक्तरंजित मिट्टी जब्त की गई। तथ्य यह है कि पीडब्लू 13-महालिंगम और माणिकम के घर एक ही गली में और आधे फरलोंग की दूरी पर हैं। गवाहों ने बयान दिया है कि माणिकम के घर में ताला लगा हुआ था और महालिंगम के घर के निवासी उस जगह पर पहुंचे जहां शव पड़ा था।

यह

[2019] 4 एस. सी. आर. की व्याख्या करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गवाहों ने क्यों गवाही दी है कि शव पीडब्लू 13 के घर के पास पड़ा था। 37. विद्वत विचारण न्यायालय ने पाया कि कुछ विसंगतियां धारणा या अवलोकन की छोटी त्रुटियों या स्मृति की कमी के कारण हो सकती हैं। यह देखा जा सकता है कि गवाहों से अधिक पूछताछ के बाद पूछताछ की जा रही थी

घटना के छह साल से अधिक।

38. यह तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने चौबीस लोगों पर मुकदमा चलाया है।

ए-10, ए-12, ए-13, ए-14 और ए-15 को भी अपील में संदेह का लाभ दिया गया है। यह तर्क कि पूरा मामला इस पर आधारित है झूठ और इस प्रकार अपीलार्थियों की दोषसिद्धि के लिए विश्वसनीय नहीं है, जो मान्य नहीं है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि "यूनो में फाल्सस, ओम्निबस में फाल्सस" कहावत का भारत में कोई उपयोग नहीं है, केवल इस कारण से कि कुछ भाग

गवाह के बयान को निचली अदालत या उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। गंगाधर बेहरा के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण ऐसा है, जिसमें न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 15. पंजाब राज्य बनाम में भी इसी प्रभाव का निर्णय लिया गया है। जागीर

सिंह और लेहना बनाम। हरियाणा राज्य '। अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की अस्वीकृति पर जोर दिया गया था।

कुछ गवाहों द्वारा पूरे अभियोजन मामले को खारिज करने की वांछनीयता के बारे में तर्क देना। सार में प्रार्थना "यूनो में फाल्सस, ओम्निबस में फाल्सस" (एक चीज में गलत, हर चीज में गलत) के सिद्धांत को लागू करना है। यह दलील स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है। यदि साक्ष्य के एक बड़े हिस्से में कमी पाई जाती है, तो भी यदि किसी अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए अवशेष पर्याप्त हैं, तो कई अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के बरी होने के बावजूद, उसकी दोषसिद्धि को बनाए रखा जा सकता है। भूसी से अनाज को अलग करना अदालत का कर्तव्य है। जहाँ भूसी को अनाज से अलग किया जा सकता है, वहाँ अदालत किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए खुली होगी, इस तथ्य के बावजूद कि अन्य अभियुक्तों के अपराध को साबित करने के लिए सबूत की कमी पाई गई है।

लोग। किसी विशेष भौतिक गवाह या सामग्री की असत्यता

आर्टिकुलर इसे शुरू से अंत तक बर्बाद नहीं करेगा। "फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओम्निबस" उक्ति का भारत में कोई उपयोग नहीं है और गवाहों को झूठा नहीं माना जा सकता है। उक्ति "फाल्सस"

8 (1974) 3 एस. सी. सी. 277

9 (2002) 3 एस. सी. सी. 76 महेंद्रन बनाम

तमिल नाडु राज्य [हेमंत गुप्ता, जे.]

एक में, सर्वव्यापी में फाल्सस को "सामान्य स्वीकृति नहीं मिली है और न ही यह उक्ति कानून के शासन का दर्जा प्राप्त करने के लिए आई है। यह केवल सावधानी का नियम है। यह केवल इतना है कि ऐसे मामलों में गवाही की अवहेलना की जा सकती है, न कि यह होना चाहिए

उपेक्षा की गई। इस सिद्धांत में केवल वजन का सवाल शामिल है।

साक्ष्य जो एक अदालत किसी दिए गए सेट में लागू कर सकती है परिस्थितियाँ, लेकिन यह वह नहीं है जिसे "साक्ष्य का एक अनिवार्य नियम" कहा जा सकता है। (निसार अल्ली बनाम देखें। उत्तर प्रदेश राज्य 1) केवल इसलिए कि कुछ अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया गया है, यद्यपि उन सभी के खिलाफ साक्ष्य, जहां तक प्रत्यक्ष गवाही की बात है, एक आवश्यक परिणाम के रूप में नहीं जाता है कि जिन्हें दोषी ठहराया गया है उन्हें भी बरी कर दिया जाना चाहिए। यह हमेशा एक अदालत के लिए खुला है

बरी किए गए अभियुक्तों को दोषी ठहराए गए अभियुक्तों से अलग करें। (गुरचरण सिंह बनाम देखें। पंजाब राज्य ")।

स्पष्ट रूप से किसी पहलू में असत्य बोलते हुए, यह आशंका है कि आपराधिक न्याय का प्रशासन बंद हो जाएगा। गवाह एक कहानी को कढ़ाई देने में मदद नहीं कर सकते हैं, हालांकि, मुख्य रूप से सच है। इसलिए, प्रत्येक मामले में यह मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि साक्ष्य किस हद तक स्वीकार करने के योग्य है, और केवल क्योंकि कुछ मामलों में न्यायालय इसे गवाह की गवाही पर भरोसा करने के लिए अपर्याप्त मानता है, यह आवश्यक नहीं है कि कानून के मामले के रूप में इसका पालन किया जाए कि इसे सभी मामलों में भी नजरअंदाज किया जाना चाहिए। सबूतों की जांच की जानी चाहिए।

सावधानी के साथ। उपरोक्त उक्ति इस कारण से एक ठोस नियम नहीं है कि शायद ही कोई ऐसा गवाह मिलता है जिसके साक्ष्य में असत्य का एक दाना या किसी भी तरह से अतिशयोक्ति, कढ़ाई या अलंकरण न हो। (सोहराब वी. देखें। M.P.12 और उगार की स्थिति

अहीर वी. बिहार राज्य 1 3.) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सम्मानित रूपक के संदर्भ में, अनाज को भूसे से, सत्य को झूठ से अलग करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जहाँ अलग करना संभव नहीं है

झूठ से सच्चाई, क्योंकि अनाज और भूसी अटूट रूप से मिश्रित हैं, और अलग होने की प्रक्रिया में प्रस्तुत आवश्यक विवरणों को अलग करके एक बिल्कुल नए मामले का पुनर्निर्माण करना पड़ता है।

1957 एससी 366 1956 एससी 460

2) 3 एस. सी. सी. 751

एससी 277 [2019] 4 एससीआर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभियोजन पक्ष द्वारा पूरी तरह से उस संदर्भ और पृष्ठभूमि से जिसके खिलाफ वे बनाए गए हैं, एकमात्र उपलब्ध तरीका है कि साक्ष्य को पूरी तरह से त्याग दिया जाए। (ज़िंगली एरियल बनाम देखें। M.P.[1]4 14 की स्थिति और बलाका सिंह बनाम। पंजाब राज्य ")। जैसाकि एहि न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम में अभिनिर्धारित कयल गेल अछि। कल्कि "सामान्य"

साक्ष्य में विसंगतियां वे हैं जो अवलोकन की सामान्य त्रुटियों, समय बीतने के कारण स्मृति की सामान्य त्रुटियों, मानसिक स्वभाव जैसे सदमे और भय के कारण होती हैं।

घटनाएँ और वे हमेशा वहाँ होते हैं, चाहे वे कितने भी ईमानदार और

सच्चा गवाह हो सकता है। भौतिक विसंगतियाँ वे हैं जो सामान्य नहीं हैं, और एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षित नहीं हैं। न्यायालयों को उस श्रेणी को चिह्नित करना होगा जिसमें विसंगति को वर्गीकृत किया जा सकता है। जबकि सामान्य विसंगतियाँ किसी पक्ष के मामले की विश्वसनीयता को कम नहीं करती हैं, भौतिक विसंगतियाँ ऐसा करती हैं। इन पहलुओं पर हाल ही में कृष्ण मोची बनाम में प्रकाश डाला गया था। बिहार राज्य 1. मामले में
आरोपी अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप स्पष्ट रूप से स्थापित किए गए हैं। नीचे दी गई अदालतों ने स्पष्ट रूप से साक्ष्य में विशिष्ट विशेषताओं का संकेत दिया है जहाँ तक कि

बरी कर दिए गए और दोषी ठहराए गए आरोपी चिंतित हैं।

40. राम लक्ष्मण के मामले में अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा निर्दिष्ट निर्णय वर्तमान तथ्यों पर लागू नहीं होता है। मामले में, जैसा कि उस मामले में, न्यायालय ने गवाहों की गवाही को अविश्वसनीय और अविश्वसनीय पाया ताकि कुछ अभियुक्तों को लाभ प्रदान किया जा सके और दूसरों की दोषसिद्धि को बनाए रखा जा सके। न्यायालय ने देखा कि उक्ति "फ़ाल्सस इन यूनो, फ़ाल्सस इन ओम्निबस" लागू नहीं है। इसलिए, यदि गवाह विश्वसनीय और भरोसेमंद है तो पूरे बयान को खारिज नहीं किया जा सकता है।

किस आरोपी ने अपने भाई पर किस हथियार से हमला किया यह नहीं कहा जा सकता कि वह वास्तव में उसके गवाह थे। एक बार फिर सूरज मल के मामले में अदालत दोषसिद्धि की वैधता की जांच कर रही थी।

14 आकाशवाणी 1954 एस. सी. 15

15 (1975) 4 एस. सी. सी. 511

6 (1981) 2 एस. सी. सी. 752

17 (2002) 6 एस. सी. सी. 81 महेंद्रन बनाम

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के प्रावधान। यह पाया गया कि दो अभियुक्तों के खिलाफ गवाहों का साक्ष्य अविभाज्य और अविभाज्य था, जब इस तरह के साक्ष्य पर एक अभियुक्त को बरी कर दिया गया था न कि दूसरे अभियुक्त को।

42. ये सभी निर्णय न्यायालय द्वारा जांचे जा रहे तथ्यों में गवाहों के साक्ष्य की सराहना के संबंध में हैं। जनरल

साक्ष्य के मूल्यांकन का सिद्धांत यह है कि भले ही गवाह के साक्ष्य का कुछ हिस्सा गलत पाया जाए, लेकिन गवाह की पूरी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है।

43. यह तर्क कि पाँच अरुवल (दरांती) केवल रवि (ए-1) के प्रकटीकरण कथन के आधार पर बरामद किए गए थे, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। Ex.P.6 रवि (A-1) का प्रकटीकरण कथन है, जबकि Ex.P.8 मोहन (A-10), सुब्बैयान (A-21), N का प्रकटीकरण कथन है। राजमाणिकम (मृत्यु), संथानम (ए-22) और कन्नन (ए-24)।

44. इस तरह के प्रकटीकरण बयानों की उपस्थिति में, Ex.P.7 के रूप में वसूली का एक सामान्य ज्ञापन तैयार किया गया था। इसलिए, यह एक आरोपी का इकबालिया बयान नहीं है जिसके कारण घटना में इस्तेमाल किए गए हथियारों की बरामदगी हुई, बल्कि इकबालिया बयान के आधार पर। अभियुक्त के बयान, एक सामान्य वसूली ज्ञापन तैयार किया गया था। घटना में उपयोग किए गए हथियारों की बरामदगी का ऐसा सामान्य ज्ञापन अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा नहीं कर सकता है।

45. यह तर्क कि कुडवासल में एक डॉक्टर की अनुपलब्धता डी. डब्ल्यू. 4-बालकुमारवेलु के बयान पर फिर से विरोधाभासी है बर्दाश्त करने योग्य नहीं। डी. डब्ल्यू. 4-बालकुमारवेलु कुदवासल सरकारी अस्पताल में सहायक डॉक्टर हैं जिन्होंने बयान दिया है कि डॉक्टर घटना की तारीख को ड्यूटी पर थे। उन्होंने बयान दिया है कि डॉक्टर गीता सुबह 7:30 बजे से आउट पेशेंट वार्ड में ड्यूटी पर थीं। आउट पेशेंट पर कोई ड्यूटी नहीं थी।

उस दिन दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक वार्ड। जैसा कि रिकॉर्ड में दिया गया है कि कुदवासल गाँव तिरुवरूर के रास्ते में पड़ता है और चूंकि डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, इसलिए घायलों की सरकारी अस्पताल तिरुवरूर में जांच की गई। पीडब्लू17-डॉक्टर रज़ूल की गवाही पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया गया है कि डॉक्टर कुडवासल में उपलब्ध थे अस्पताल और चोटों की जाँच उस स्थान पर भी की जानी चाहिए थी। गवाह के सामने रखा गया एकमात्र सुझाव यह है कि चोटें उनकी जाँच करने से पहले एक घंटे के भीतर हो सकती थीं। चोटों की संभावना एक ऐसी राय है जो 13.3.1994 की दुर्भाग्यपूर्ण सुबह में चोटों की प्राप्ति के बारे में गवाह के प्राथमिक बयान का विरोध नहीं कर सकती है।

46. अभियोजन पक्ष ने रवि द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को साबित कर दिया है

(ए-1) और सिंगरावेलु (ए-2)। मुरुगैयान की पीट-पीटकर हत्या करने वाली भीड़ के हिस्से के रूप में घटना के समय अन्य अभियुक्तों की उपस्थिति भी बनी हुई है।

साबित कर दिया। मृतक के शरीर के अंगों पर शारीरिक विच्छेद होता है। घटना के तुरंत बाद दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थियों की उपस्थिति का खुलासा किया गया था। इसलिए, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त-अपीलार्थियों को गलत तरीके से फंसाया गया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अपीलकर्ता भी पिछड़े वर्ग के हिंदू हैं। अभियोजन पक्ष के गवाह पीडब्लू1-गणेशमूर्ति, पीडब्लू2-राजा और पीडब्लू3-रमेश ने स्पष्ट रूप से उस घटना में प्रत्येक अपीलार्थी की भूमिका को परिभाषित किया है जिसने मुरुगैयन की जान ले ली है। इस तरह के बयान की पुष्टि पीडब्लू 5 द्वारा की गई है-मृतक की पत्नी लक्ष्मी जो पदच्युत किया कि यह रवि (ए-1) और सिंगरावेलु (ए-2) हैं जिन्होंने बीस-तीस अन्य व्यक्तियों के साथ क्रमशः मिट्टी का तेल डाला और माचिस जलाया। इसलिए, सभी अपीलार्थियों की सक्रिय भागीदारी रिकॉर्ड पर साबित होती है।

47. हम इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि सभी अपीलार्थियों को एक समान उद्देश्य के लिए नहीं कहा जा सकता है।

पी. डब्ल्यू. 5-लक्ष्मी द्वारा रवि (ए-1) और सिंगरावेलु (ए-2) के अलावा अन्य अपीलार्थियों को प्रत्यक्ष कार्य। यहां तक कि पीडब्लू5-लक्ष्मी भी स्पष्ट है कि रवि (ए-1) और सिंगरावेलु (ए-2) के साथ बीस-तीस अन्य लोग थे। हालाँकि उसने अन्य अभियुक्तों का नाम नहीं लिया है, लेकिन तथ्य यह है कि अन्य अभियुक्तों को विशेष रूप से पीडब्लू1-गणेशमूर्ति, पीडब्लू2-राजा और पीडब्लू3-रमेश द्वारा नामित किया गया है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सभी अभियुक्त मृतक की झोपड़ी पर हमला करने के लिए एक समूह के रूप में आए थे और फिर उनकी जान ले ली।

48. जोसेफ के मामले में, जैसा कि अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा भरोसा किया गया था, अदालत ने कहा कि यदि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के बीच सामान्य उद्देश्य के अस्तित्व में सुधार करने में सफल होता है और अभियुक्त सामान्य उद्देश्य के अभियोजन को सक्रिय करता है और जानता है कि मृत्यु होने की संभावना है, तो आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत दोषसिद्धि की जाती है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 11.3 . प्रत्येक मामले में यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि क्या अपराध सभा के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था या वह अपराध था जिसे सदस्यों को पता था कि किए जाने की संभावना है। एक बार जब अदालत को पता चलता है कि आई. पी. सी. की धारा 149 के तत्व पूरे हो गए हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध को करने के समय विधानसभा का सदस्य था, उसे उस अपराध का दोषी ठहराया जाना चाहिए। इस तरह के निष्कर्ष के बाद, यह महेंद्रन v के लिए खुला नहीं होगा।

अदालत यह देखने के लिए कि वास्तव में किसने आपत्तिजनक कार्य किया और न ही अदालत के लिए यह खुला होगा कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करने की आवश्यकता हो कि सदस्यों में से किस ने उपरोक्त दो घटकों में से कौन सा किया। इससे पहले

आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत दोषसिद्धि दर्ज करना, आवश्यक

आई. पी. सी. की धारा 141 के घटकों को स्थापित किया जाना चाहिए।

49. उपरोक्त मामले में, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि क्या गैरकानूनी सभा के सदस्यों का वास्तव में सामान्य उद्देश्य था मृतक की हत्या का कारण प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाना है। ऐसे हथियारों की प्रकृति

अपीलार्थी द्वारा अपने घर के पास बिजली के खंभे को हुए नुकसान के बारे में पूछे गए प्रश्न पर क्रोधित। दोनों पक्षों के बीच किसी भी पूर्व शत्रुता का संकेत देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। इस तरह का निर्णय फिर से हाथ में मामले में साक्ष्य की सराहना पर है। 51. गंगाधर बेहरा के मामले में, आई. पी. सी. की धारा 141 पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सामान्य उद्देश्य सामान्य इरादा नहीं है क्योंकि एक गैरकानूनी सभा में केवल उपस्थिति किसी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं बना सकती है जब तक कि कोई सामान्य उद्देश्य न हो और वह उस सामान्य उद्देश्य से प्रेरित न हो। सामान्य उद्देश्य के लिए हमले से पहले एक पूर्व संगीत कार्यक्रम और मन की एक सामान्य बैठक की आवश्यकता नहीं होती है। यह पर्याप्त है यदि प्रत्येक की दृष्टि में एक ही वस्तु है यदि पाँच या अधिक उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सभा के रूप में कार्य करते हैं। एक सभा के "सामान्य उद्देश्य" का निर्धारण इसकी रचना करने वाले सदस्यों के कार्यों और भाषा से किया जाना है, और

आसपास की सभी परिस्थितियों पर विचार करना। न्यायालय ने इस याचिका पर विचार करते हुए कि अभियुक्त की निश्चित भूमिकाएँ और

इसलिए धारा 149 लागू नहीं है जिसे स्वीकार नहीं किया गया था। यह निम्नानुसार आयोजित किया जाता हैः

" 25. दूसरी दलील है कि अभियुक्त को निश्चित भूमिका नहीं दी गई है और इसलिए धारा 149 लागू नहीं होती है, वह है [2019] 4 एस. सी. आर.

असमर्थनीय। मसाला मामले में इस न्यायालय की चार न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः (एयर पी। 210, पैरा 15)

" 15. फिर यह आग्रह किया जाता है कि गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य एक समान पैटर्न के अनुरूप हों और चूंकि सभी हमलावरों को कोई विशिष्ट भाग नहीं सौंपा गया है, इसलिए उस साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। यह आलोचना फिर से अच्छी तरह से आधारित नहीं है। जहाँ हमलावरों की भीड़ जो एक गैरकानूनी संगठन के सदस्य हैं

पीड़ित, यह आवश्यक नहीं हो सकता है कि उन सभी को लेना पड़े वास्तविक हमले का हिस्सा। उदाहरण के लिए, वर्तमान मामले में विभिन्न सदस्यों द्वारा कई हथियार लिए गए थे।

गैरकानूनी सभा, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बंदूकों का उपयोग किया गया था और यह 5 व्यक्तियों को मारने के लिए पर्याप्त था। ऐसे मामले में, यह तर्क देना अनुचित होगा कि क्योंकि गैरकानूनी सभा के सदस्यों द्वारा ले जाए गए अन्य हथियारों का उपयोग नहीं किया गया था, इसलिए उक्त हथियारों के संबंध में कहानी को ही खारिज कर दिया जाना चाहिए। ऐसे जटिल मामले में साक्ष्य की सराहना करना निस्संदेह एक कठिन कार्य है, लेकिन आपराधिक अदालतों को ऐसे मामलों से निपटने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी और यह उनका कर्तव्य है कि वे साक्ष्य की सावधानीपूर्वक छान-बीन करें और यह तय करें कि इसका कौन सा हिस्सा सच है और कौन सा नहीं।

26. लालजी बनाम में अवलोकन का भी ऐसा ही प्रभाव है। यू. पी. राज्य "। यह देखा गया कि - (एस. सी. सी पी. 441, पैरा 8)

" गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य को इकट्ठा किया जा सकता है सभा की प्रकृति, उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली भुजाओं और घटना स्थल पर या उससे पहले सभा के व्यवहार से।

यह तथ्यों से निकाला जाने वाला एक अनुमान है और

प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ।

27. यू. पी. राज्य बनाम दान सिंह 20 यह देखा गया कि अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि कौन से सदस्य

गैरकानूनी सभा ने क्या या क्या कार्य किया। संदर्भ था

1965 एससी 202 9) 1 एससीसी 437 7) 3 एससीसी 747 महेंद्रन बनाम।

लालजी के मामले में जहां यह देखा गया था कि (एस. सी. सी पी. 442 ,

पैरा 9)

" जबकि प्रत्यक्ष कार्य और सक्रिय भागीदारी सामान्य संकेत दे सकती है। अपराध को अंजाम देने वाले व्यक्ति का इरादा, गैरकानूनी सभा में केवल उपस्थिति परोक्ष रूप से हो सकती है

धारा 149 के तहत आपराधिक दायित्व।

28. स्थिति के ऊपर, हम याचिका में कोई सार नहीं पाते हैं कि चश्मदीद गवाहों का साक्ष्य धारा 149 के आवेदन द्वारा अपराध को मजबूत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जहाँ तक कामाक्षा राय मामले 2 1 में की गई टिप्पणियों का संबंध है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त मामले में निर्णय पूरी तरह से एक अलग तथ्यात्मक परिदृश्य में प्रस्तुत किया गया था। निर्णय के शब्दों को विधायी अधिनियम के शब्दों के रूप में मानने में हमेशा खतरा होता है, और यह याद रखना चाहिए कि न्यायिक कथन किसी विशेष मामले के तथ्यों की स्थापना में किए जाते हैं। परिवेशीय लचीलापन, एक अतिरिक्त या अलग तथ्य दोनों के बीच अंतर की दुनिया बना सकता है।

दो मामलों में निष्कर्ष (पद्म सुंदर राव बनाम देखें। T.N.22) की स्थिति। यह उस मामले में अधिक है जहां निष्कर्ष आपराधिक मुकदमे में साक्ष्य की सराहना से संबंधित हैं, जैसा कि कृष्णा मोची मामले में देखा गया था।

52. संजीव कुमार के मामले में, धारा 149 की सहायता से धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखा गया था, जब यह पाया गया कि हत्या का कोई उद्देश्य नहीं था, बल्कि केवल मृतक और अन्य उम्मीदवारों को चुनाव से रोकना था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि हत्या करने का सामान्य इरादा हत्या के उकसावे पर उत्पन्न हुआ होगा।

एक क्षण।

53. गंगाधर बेहरा प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निर्णय के शब्दों को विधायी अधिनियम में शब्दों के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह याद रखना चाहिए कि न्यायिक आदेश किसी विशेष मामले के तथ्यों की स्थापना में दिए जाते हैं। परिवेशीय लचीलापन, एक अतिरिक्त या अलग तथ्य दो मामलों में निष्कर्षों के बीच अंतर पैदा कर सकता है, इसलिए, क्या प्रत्येक मामले में अभियुक्त का कोई सामान्य उद्देश्य था, यह उस विशेष मामले के तथ्यों के संचयी प्रभावों पर निर्भर करेगा।

54. वर्तमान मामले में, नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने पाया है कि मृतक की झोपड़ी को जलाने में अपीलार्थियों का समान उद्देश्य है 21 (1999) 8 एस. सी. सी. 701

22 (2002) 3 एससीसी 533 [2019]

घ मृतक पर अरुवल (दरांती) से भी हमला करता है।

सी. ए. के खिलाफ पंचायत के मामलों में मृतक

अतः रवि (ए-1) और सिंगरावेलु के अलावा अन्य अपीलकर्ताओं ने उन्हें अपराधों के लिए दोषी ठहराने के लिए अलग-अलग व्यवहार किया।

26 आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पढ़ें क्योंकि सभी आरोपी थे

वैध सभा जिसने 13.03.1994 की दुर्भाग्यपूर्ण सुबह मृतक की जान ले ली है।

55. नतीजतन, हम पूर्व में कोई योग्यता नहीं पाते हैं

और वही खारिज कर दिए जाते हैं।

याचिकाकर्ता जमानत पर हैं। वे आपके साथ आत्मसमर्पण करेंगे।

सजा के अपने शेष भाग से गुजरें।

व्या पांडे

एएफ